उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 20.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 20.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'साइबर जागरुकता' अभियान।**
- **महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना चरखारी एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं साइबर जागरुकता अभियान के अन्तर्गत जागरुक किया गया साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 20.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में प्रचलित त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अनुरुद्व प्रताप सिंह मय हमराह का0 अंकित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त बुद्धी पुत्र दुर्गा कुम्हार उम्र करीब 70 वर्ष नि0 मुहल्ला पाल डेरा मजरा ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा को सत्र परीक्षण स0 118/1982 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की फौजदारी अपील स0 3376/1985 बुद्धी आदि बनाम अन्तर्गत धारा 394/397 भादवि तत्समय थाना खन्ना जनपद हमीरपुर में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत वारण्ट के तहत वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत पुलिस लिया गया तथा अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभि0 उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

बुद्धी पुत्र दुर्गा कुम्हार उम्र करीब 70 वर्ष नि0 मुहल्ला पाल डेरा मजरा ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुरुद्व प्रताप सिंह
2. का0 अंकित कुमार

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा पुलिस लाइन महोबा में चल रहे नवचयनित आरक्षी रिक्रूट्स के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया दिए गए, आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आज दिनांक- 20.08.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड द्वारा पुलिस लाइन महोबा में चल रहे नवचयनित आरक्षी रिक्रूट्स के प्रशिक्षण का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ने इनडोर क्लासेज का अवलोकन कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन और पठन-पाठन की व्यवस्था का गहन परीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों से संवाद कर उनके पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर किये तथा उनके रहन-सहन एवं उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन की महत्ता बताते हुए पुलिस बल की गरिमापूर्ण जिम्मेदारियों का बोध कराया।

निरीक्षण के दौरान आरआई श्री शिवकुमार सहित आईटीआई एवं पीटीआई प्रशिक्षकगण भी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 20.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"नौनिहालों की सुरक्षा सर्वोपरि – महोबा पुलिस का विशेष अभियान"
"सुरक्षित कल की दिशा में कदम – स्कूली वाहनों की गहन जांच"
"फिट और सुरक्षित वाहन ही बनें बच्चों का सहयात्री"

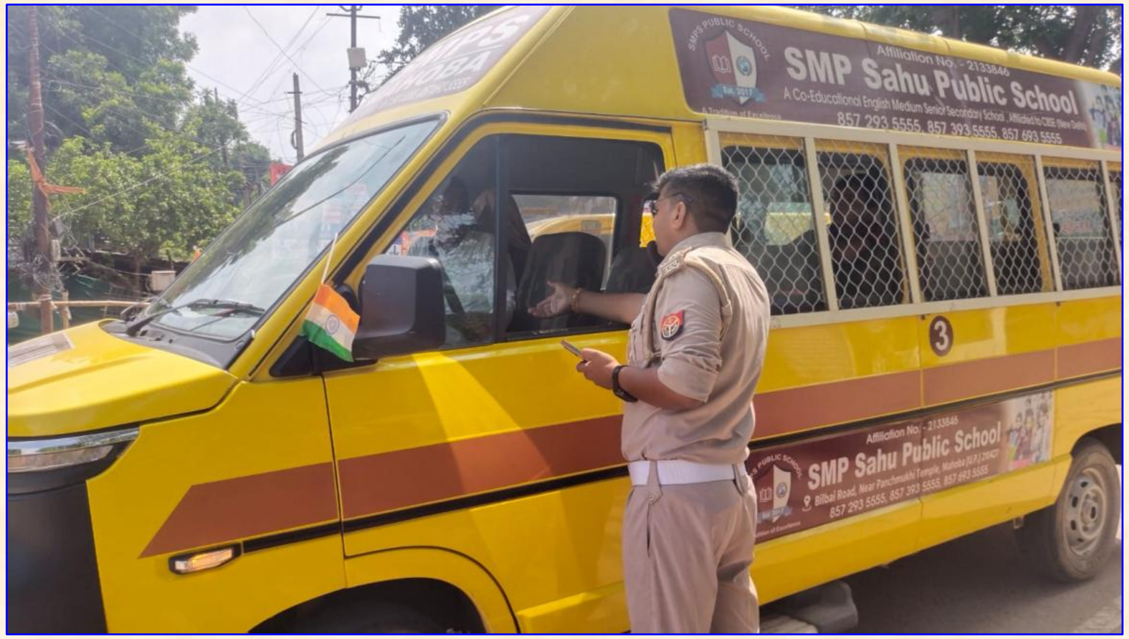

आज दिनांक- 20.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं यातायात प्रभारी श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। जांच के दौरान वाहनों की फिटनेस, परमिट, चालक की योग्यता, सीटिंग क्षमता, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र एवं सुरक्षा उपकरणों की विस्तार से पड़ताल की गई।

अभियान के दौरान 15 वाहनों की जांच की गई। जिनमें से 05 वाहनों में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रभावी कार्यवाही की गई।

यातायात प्रभारी ने जानकारी देते हुए कहा कि "बच्चे समाज का भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे अभियान आगे भी निरंतर चलते रहेंगे। सभी स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि केवल नियमों के अनुरूप, सुरक्षित व अधिकृत वाहन ही बच्चों को लाने-ले जाने के लिए लगाए जाएँ।

अभिभावकों से अपील - महोबा पुलिस सभी अभिभावकों से आग्रह करती है कि वे भी अपने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। बच्चों को केवल उन्हीं वाहनों से भेजें जो पूरी तरह सुरक्षित हों और जिनमें सभी मानक पूरे किए गए हों। किसी भी प्रकार की लापरवाही को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि सुरक्षित यातायात ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है।

महोबा पुलिस – आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 20.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सम्बन्धित वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सत्यपाल सिंह थाना अजनर के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

गठित टीम के उपनिरीक्षक राधा मोहन त्रिवेदी एवं आरक्षी भरत सिंह ने मुखबिर की सटीक सूचना पर त्वरित दबिश देते हुए थाना अजनर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित अहिरवार (उम्र 26 वर्ष) निवासी ग्राम बिजौरी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, थाना अजनर जनपद महोबा।
- का0 भरत सिंह, थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमित अहिरवार पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा ।

महोबा पुलिस की बड़ी सफलता – फायरिंग कर युवक को घायल करने वाला वांछित अभियुक्त तमंचे समेत गिरफ्तार।

घटना का विवरण :

दिनांक 19.08.2025 को थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुरवा पनवाड़ी निवासी सुघर सिंह पाल पुत्र बृजलाल (उम्र लगभग 26 वर्ष) को अभियुक्त द्वारा गोली मार दी गई, उपरोक्त घटना की सूचना पर जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय पुलिस टीम, क्राइम ब्रांच एवं फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर आवश्यक साक्ष्य संकलन एवं घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था तथा थाना अजनर पर मु0अ0सं0 187/2025 धारा 109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस की कार्यवाही :

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा प्रभारी निरीक्षक सत्यपाल सिंह थाना अजनर की देख-रेख में सम्बन्धित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था।

गठित टीम के उ0नि0 हरीकुमार सिंह द्वारा अथक प्रयास कर मुखबिर की सटीक सूचना पर आज दिनांक 20.08.2025 को ग्राम अजनर स्थित नहर कोठी पुलिया के पास से घटना में वांछित अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू पुत्र खलक सिंह (उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा) को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

बरामदगी :

- गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर,
- एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज रूप से बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय उर्फ अज्जू पुत्र खलक सिंह उम्र करीब 23 वर्ष नि0गण पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा ।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. कोर्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने से सम्बन्धित आरोपी 04 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2008 धारा- 323/504/506/324/325 भादवि से सम्बंधित आरोपी 04 अभियुक्तों क्रमश: भुवनेन्द्र तिवारी पुत्र धरनीधर 2. जयहिन्द पुत्र धरनधीर 3. पुष्पेन्द्र पुत्र भुवनेन्द्र 4. धरनीधर पुत्र जगन्नाथ निवासीगण ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

छल करके धन अर्जित करने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष 11 माह का कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जेएम कार्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा छल करके धन अर्जित करना व माल बरामदगी होने पर अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 02 वर्ष 11 माह का कारावास व 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 66/2021 धारा- 411/420 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त कमलेश रैकवार बौना उर्फ छन्नू रैकवार निवासी मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को 02 वर्ष 11 माह की सजा व 4000/- रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।